राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 20 / 2017.. जिला ....अलवर...

उनवान : मैसर्स शान्ति सेल्स, अलवर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज. वृत–II, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री के. एल. जैन, सदस्य**	
12 / 01 / 2017	अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के स्थगन संख्या 114 / 99936330924 / आरवेट / 2016–17 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 26.12.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी के वर्ष 2013–14 की अवधि से सम्बन्धित पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.11.2016 में कुल विवादित राशि रूपये 43,89,35,443 / – में से रूपये 42,59,49,187 / – की राशि पर स्थगन दिये जाने की प्रार्थना पर रूपये 25,97,25,114 / – का स्थगन प्रदान किया गया है एवं अवशेष राशि रूपये 16,62,24,073 / – को स्थगित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा एक डिस्ट्रिब्यूटर के रूप में मामा ब्राण्ड सुपारी मैसर्स आर.आर.झिरीवाल अलवर से खरीद की गयी थी एवं आर.आर.झिरीवाल अलवर के सर्वेक्षण के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उस माल को पान मसाला मानते हुए उस पर पान मसाला पर देय कर 60 प्रतिशत से आरोपित किया गया एवं उस पर ब्याज एवं शास्ति भी आरोपित की गई। इस तरह अपीलार्थी द्वारा जिस विक्रेता से माल खरीद किया जा रहा है उस माल को पान मसाला मान लिया गया है एवं उसी माल के सन्दर्भ में अपीलार्थी व्यवहारी का भी सर्वे किया जांकर इस माल को भी पान मसाला मानते हुए 60 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया है। कथन किया कि स्वयं कर निर्धारण आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश के पृष्ठ संख्या 5 पर यह वर्णित किया है कि ''व्यवहारी ने पुनः दिनांक 24.05.16 को प्रस्तुत सहायक जवाब में बताया कि अगर यह पान मसाला है तो वे राजस्थान में इस विवादित माल के प्रथम विक्रेता नहीं है। साथ ही व्यवहारी ने बताया कि उन्होंने मै0 आर0आर0 झीरीवाल से यह विवादित माल खरीदा है तथा श्रीमान् अपीलीय प्राधिकारी ने इस विवादित माल को पान मसाला नहीं माना है।'' लगातार.............2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 20/2017.. जिला ....अलवर...

उनवान : मैसर्स शान्ति सेल्स, अलवर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज. वृत–II, अलवर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/01/2017	विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध एक बार यह मान भी लिया जावे कि यह माल पान मसाला का विक्रय किया गया है तो यह उक्त आदेश से स्पष्ट है कि वह प्रथम विक्रेता न होकर राज्य में द्वितीय विक्रेता है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(63)एफडी/टैक्स/2005–172 दिनांक 31.03.2006 के अनुसार पान मसाला पर प्रथम बिन्दु पर ही करदेयता है। ऐसी स्थिति में चूंकि पान मसाला प्रथम बिन्दु पर ही कर योग्य है, तब उस हालात में अपीलार्थी पर करदेयता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है एवं यदि यह माना जाये कि यह पान मसाला नहीं है तब उस हालात में चूंकि अपीलार्थी ने सुपारी की खरीद की है तब उस अनुसार उस पर विक्रय कर एवं आई.टी.सी. क्लेम स्वतः प्राप्त होने योग्य है। इस तरह दोनों ही स्थितियों में अपीलार्थी किसी भी आधार पर अतिरिक्त मांग के लिये दायित्वाधीन नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने यह उल्लेख किया है कि स्वयं अपीलीय अधिकारी अलवर ने आर.आर.झिरीवाल के विरूद्ध जो प्रकरण बनाया गया था कि मामा ब्राण्ड सुपारी पान मसाला है, उस कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.01.2016 में त्वरित सुनवाई कर दिनांक 18.04.2016 को निर्णय पारित कर स्वयं अपीलीय अधिकारी ने यह माना कि मामा ब्राण्ड सुपारी पान मसाला नहीं है एवं आर.आर.झिरीवाल के विरूद्ध पूरी मांग निरस्त की गई। उन्होंने कथन किया कि वही माल आर.आर.झिरीवाल ने इस अपीलार्थी को विक्रय किया है एवं इसी अपीलीय अधिकारी ने यह माना है कि वह माल पान मसाला नहीं है, उसके बावजूद भी उनके स्वयं के अपीलीय आदेश दिनांक 18.04.2016 के बाद अपीलार्थी को स्थगन के विरूद्ध दिये गये आदेश दिनांक 26.12.2016 में स्थगन केवल 25,97,25,114/– का प्रदान किया गया, जिसका कोई आधार नहीं है क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने स्वयं ने ही निर्णीत कर लिया है कि उनके द्वारा विक्रय किया गया माल पान मसाला नहीं है तब वे स्वयं इस मामले में स्थगन नहीं दिया जाना पूर्णतया विधिक रूप से अनुचित है। यह भी कथन किया कि स्वयं कर निर्धारण आदेश में यह अंकित किया हुआ है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा इस मामा ब्राण्ड सुपारी के मामले में आर.आर. झिरीवाल की मांग निरंस्त की जा चुकी है। इस तरह उसी अपीलीय अधिकारी द्वारा अन्यथा आदेश पारित किया गया है जो पूर्णतया विधिविरूद्ध है, अतः दोनों ही आधारों पर अपीलार्थी की मांग अपास्त योग्य होने से मांग पर स्थगन आदेश जारी करने का अनुरोध किया। लगातार.............3	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 20/2017.. जिला ....अलवर...

उनवान : मैसर्स शान्ति सेल्स, अलवर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज. वृत–II, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/01/2017	विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया, परन्तु अपीलीय अधिकारी के मामा ब्राण्ड सुपारी पर किये गये निर्णय पर कोई तर्क नहीं दिया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अपीलीय आदेश व कर निर्धारण आदेश का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा समस्त माल आर.आर.झिरीवाल नामक फर्म से खरीद किया गया था जो कि मामा ब्राण्ड सुपारी था। आर.आर.झिरीवाल फर्म का सर्वेक्षण करने के पश्चात् सुपारी को पान मसाला मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश पारित किया था, उसी श्रृंखला में अपीलार्थी द्वारा चूंकि मामा ब्राण्ड सुपारी आर.आर.झिरीवाल से खरीद की थी अतः अपीलार्थी पर भी विवादित माल को पान मसाला मानते हुए मांग सृजित की गयी है परन्तु यह विरोधाभास स्पष्ट है कि यदि द्वितीय विक्रेता को पान मसाला का उत्पाद विक्रय करना बताया जाता है तब उस स्थिति में प्रथम बिन्दु पर ही करदेयता होने से अपीलार्थी पर करदेयता नहीं बनती हैं। यह तर्क उचित है एवं चूंकि आर.आर.झिरीवाल फर्म जिससे माल क्रय किया गया है एवं उस फर्म के विरूद्ध उसी माल मामा ब्राण्ड सुपारी को पान मसाला होने सम्बन्धी निष्कर्ष को अपास्त कर अपीलीय अधिकारी द्वारा आर.आर. झिरीवाल के विरूद्ध पारित आदेश को निरस्त किया जाता है, ऐसी स्थिति में खरीददार विक्रेता द्वारा कर निर्धारण के समय अपीलीय अधिकारी के आदेश का हवाला देने के पश्चात् स्वयं उन्हीं अपीलीय अधिकारी द्वारा इस पर स्थगन नहीं दिया जाना न्यायसम्मत नहीं है क्योंकि उनके स्वयं द्वारा ही पान मसाला नहीं माने जाने का निर्णय इस प्रकरण के पूर्व ही दिया जा चुका था। अपीलीय अधिकारी ने शास्ति को स्थगित कर दिया है परन्तु कर पर स्थगन नहीं दिया है, जबकि उनके स्वयं के आदेश अनुसार यह माल पान मसाला नहीं माना गया है। अतः प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि **रूपये 16,62,24,073/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate लगातार.............4	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 20/2017.. जिला ....अलवर..

उनवान : मैसर्स शान्ति सेल्स, अलवर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज. वृत–II, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवांही मय इनीशियल जज –: 4 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/01/2017	security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 12.1.2017 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	